राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : / रा.नि.आ. /20

दिनांक 20

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्याः–1613 / रा0नि0आ0अनु0–2 / 1715 / 2014
देहरादून : दिनांक 19 जुलाई, 2014

अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या–1597/XII(1)–2014–86(08)/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद– 243–ट के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) की **क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों** के पदों के निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार कराये जायेंगेः–

नामांकन का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
24.07.2014 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	24.07.2014 (अपराह्न 03.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	26.07.2014 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	27.07.2014 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	27.07.2014 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद)

2. यह निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा यथा संशोधित) एवं तद्धीन प्रख्यापित उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, के अनुसार होंगे और इन निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

3. जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) अपने जनपद की क्षेत्र पंचायतों के **प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों** के पदों के निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से नियमावली के नियम–6(2) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना दिनांक **20.07.2014** को जारी करेगे और तद्क्रम में निर्वाचन अधिकारी नियमावली में निर्धारित प्रपत्र–1 में हिन्दी में नोटिस प्रसारित करेंगे। उक्त नोटिस जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के सूचना पटों में प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर प्रमाणित डाक द्वारा / अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजी जायेगी।

4. यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा

क्रमश....2

होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में हिन्दी में होंगे और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ, उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम–13 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लडने वाले विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में हो। उपरोक्तानुसार निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात् मतगणना कराकर निर्वाचन परिणाम निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) द्वारा यथाशीघ्र घोषित किये जायेंगे।

5. उपरोक्त निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी होंगे। निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये उक्त नियमावली के नियम–5 के अनुसार एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

(हस्ताक्षर) 18/7/14

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः /रा0नि0आ0अनु0–2/1715/2014 तद्दिनांक । (फैक्स/ई0मेल)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्डशासन।
10. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
14. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
15. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
16. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
17. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)
18. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)

क्रमश....3

19. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
20. निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
21. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
22. निजी सचिव, पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
23. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की दस (10) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
24. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
25. सूचना–पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

ह० 18/7/14

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।